भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4088
25 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

मछुआरों की नावों को हटाना

4088. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 22.11.2024 को संघ राज्यक्षेत्र दमन और दीव के समुद्र नारायण मंदिर के पास मछुआरों की नावों को हटा दिया गया था;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या नावों को हटाने से पहले मछुआरों को कोई लिखित सूचना दी गई थी;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार के पास सूचना की प्रति है, जिसमें मछुआरों द्वारा सूचना प्राप्ति की पुष्टि करते हुए हस्ताक्षर किए गए हैं;
(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा क्या मछुआरों की नावों को पूर्व सूचना के बिना हटाने की अनुमति है;
(छ) यदि नहीं, तो उन्हें हटाए जाने के क्या कारण हैं; और
(ज) खाली कराए गए क्षेत्र पर सरकार द्वारा कौन-सी परियोजना कार्यान्वित की जा रही है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क) से (ज) दादरा नगर हवेली और दमन दीव केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन ने सूचित किया है कि दमन में समुद्र नारायण मंदिर के पास मछुआरों की नावों को 22.11.2024 को पुनर्स्थापित(रिलोकेट) कर दिया गया था और यह रिलोकेशन सरकारी खर्च पर किया गया था। यह भी सूचित गया है कि इन नौकाओं को अस्थायी रूप से कदैया मच्छीवाड़, दमन (यह भी सरकारी भूमि है) में पुनर्स्थापित किया गया है। केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन ने आगे सूचित किया है कि किसी लिखित सूचना की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि नावें चल संपत्ति(मूवेबल प्रॉप्रटी) हैं और सरकारी भूमि पर पार्क की गई थीं। इसके अलावा, केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि समुद्र नारायण मंदिर के पास एक निर्धारित बोट पार्किंग और अतिरिक्त जेटी निर्माणाधीन है, जो मौजूदा स्थान से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर है और यह बोट पार्किंग नावों के लिए सुव्यवस्थित स्थान प्रदान करने में, और मछुआरों के मत्स्यन के कार्य में सेफ्टी, सिक्योरिटी और दक्षता में सहायक होगी।

मछुआरा समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखते हुए और अत्याधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए, एक परियोजना शुरू की गई है, जिसका नाम है - समुद्र नारायण जेट्टी को पैदल यात्री पुल तक विस्तार करना और नानी दमन में बोट पार्किंग का विकास, जिसमें (i) बोट पार्किंग (ii) मात्स्यिकी कार्यालय (iii) पार्किंग सुविधाएं (iv) परियोजना के हिस्से के रूप में वॉकवे जैसी प्रस्तावित सुविधाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और दमन में मनोरंजक क्रियाकलाप बढ़ाने के लिए संघ राज्य प्रशासन के पर्यटन विभाग द्वारा गो कारटिंग की एक और परियोजना की कल्पना की गई है ।

दादरा नगर हवेली और दमन दीव संघ शासित प्रशासन ने आगे सूचित किया है कि उपर्युक्त मामला माननीय मुम्बई उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

***